



संख्या : 2997/जी0एस0(शिक्षा)/A3-32(2)/2019

प्रेषक,

स्वाति0 एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक 27 फरवरी, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या : 312 दिनांक 31.05.2019 एवं पत्र संख्या : 807 दिनांक 30.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया आई0एम0टी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड हॉयर स्टडीज (प्र0), काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि संस्थान को उक्त पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता पत्र संख्या : 1409 दिनांक 19 जुलाई, 2019 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- उपरोक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया आई0एम0टी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड हॉयर स्टडीज (प्र0), काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0सी0ए0	45	2020-21
			45	2021-22
			30	2022-23

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक संस्थान से प्राभूति यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024-25 से अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में ही मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करेगा। प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by

Swati Srivastava Bhadauria (स्वाति एस0 भदौरिया)

Date: 25-02-2025 13:15:21 कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2997 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-32(2)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Signed by आज्ञा से,

Shri Laxman Ram Arya

Date: 27-02-2025 11:57:20

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।